(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 07/2022-State Tax (Rate)

Dated:17/11/2022

No. F.3 (29)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/896 - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of this Government issued vide Notification No.2/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/374, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification,

(A) in the Schedule, -

(i) against S. Nos. 9 and 22, in column (3), for the portion beginning with the words "other than those put up in" and ending with the words "conditions as in the ANNEXURE I]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(ii) against S. No. 26, for the entry in column (3), the entry "Curd, Lassi, Butter milk, other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(iii) against S. Nos. 27,29, 30B, 45, 46A, in column (3), for the portion beginning with the words "other than those put up in" and ending with the words "conditions as in the ANNEXURE I]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(iv) against S. No. 46B, in column (3), for the portion beginning with the words "[other than those" and ending with the words "conditions as in the ANNEXURE I]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(v) against S. Nos. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 74 and 75, in column (3), for the portion beginning with "[other than those" and ending with the words "conditions as in the ANNEXURE I]]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(vi) against S. Nos. 77 and 78, in column (3), for the portion beginning with the words "[other than those" and ending with the words "conditions as in the ANNEXURE I]]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(vii) against S. No. 94, for the entry in column (3), the entry "(i)Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery,other than pre-packaged and labelled.;

(ii) Khandsari Sugar,other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(viii) against S. No. 95, in column (3), after the word "Murki", the words and symbols ", other than pre-packaged and labelled" shall be inserted;

(ix) against S. No. 97A, in column (3), for the portion beginning with the words "other than those put up" and ending with the words "as specified in the ANNEXURE I]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(x) against S. No. 99, in column (3), the word "purified, " shall be omitted;

7. The Special Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary-I (Finance)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय–I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या– 07/2022–राज्य कर (दर)

दिनांकः 17/11/2022

सं.फा.03(29)/वित्त(व्यय–I)/2022–23/डीएस–I/896 : दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03), की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्ति शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस सरकार की अधिसूचना संख्याा 2/2017–राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं.फा. 03(15)/वित्त(राजस्व–I)/2017–18/डीएस–VI/374, दिनांक 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग– IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नेलिखित संशोधन करते हैं, यथाः –

(क) अनुसूची में, –

(i) क्रम संख्या 9 और 22 के समक्ष, कॉलम (3) में "जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर" शब्दों, से प्रारंभ होने वाले और "परित्याग कर दिया गया हो," से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर "जिन्हे प्री–पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "दही, लस्सी, छाछ, उनसे भिन्न, जिन्हे प्री–पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 27, 29, 30ख, 45, 46क के समक्ष, कॉलम (3) में, "जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर" शब्दों, से प्रारंभ होने वाले और "परित्याग कर दिया गया हो," से अंत होने वाले शब्दों् के स्थान पर "जिन्हे प्री–पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या "46ख के समक्ष, कॉलम (3) में "जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "परित्याग कर दिया गया हो," से अंत होने वाले शब्दोंा के स्थान पर "जिन्हे प्री–पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 और 75 के समक्ष, कॉलम (3) में, "जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "परित्याग कर दिया गया हो," से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर "जिन्हे प्री–पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी ।

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017–राज्य कर (दर), दिनांक 30, जून, 2017 को सं.फा. 03(15)/वित्त(राजस्व–I)/2017–18/डीएस–VI/374, दिनांक 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग– IV में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 19/2021–राज्य कर (दर), दिनांक 22, मार्च 2022, जिसे सं.फा. 03(165)/वित्त(व्यय–I)/2021–22/डीएस–I/197, दिनांक 22, मार्च 2022, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण भाग–IV, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव– I (वित्त)

सं.फा.03(29)/वित्त (व्यय–I)/2022–23/डीएस–I/896 दिनांक: 17/11/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
7 विशेष सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
11 वेब साईट।
12 गार्ड फाइल।

(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव– I (वित्त)

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 09/2022-State Tax (Rate)

Dated:17/11/2022

No. F.3 (30)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/897 - In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of this Government issued vide Notification No. 5/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/371, dated the 30th June, 2017 namely :-

In the said notification,

(i) in the opening paragraph, in the proviso, in clause (i), for the words and figure "serial numbers 1", the words, figure and letters "serial numbers 1AA" shall be substituted;

(ii) in the TABLE, S. No. 1 shall be re-numbered as S. No. 1AA, and before S. No. 1AA as so re-numbered, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"1A.	1507	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified
1B.	1508	Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1C.	1509	Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1D.	1510	Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 1509
1E.	1511	Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1F.	1512	Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
1G.	1513	Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
1H.	1514	Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
1I.	1515	Other fixed vegetable or microbial fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1J.	1516	Vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared.
1K.	1517	Edible mixtures or preparations of vegetable fats or vegetable oils or of fractions of different vegetable fats or vegetable oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय–I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या– 09/2022–राज्य कर (दर)

दिनांक: 17/11/2022

सं.फा.03(30)/वित्त(व्यय–I)/2022–23/डीएस–I/897: दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 54 की उप धारा (3) के परन्तुक के उपवाक्य (ii)के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस सरकार की अधिसूचना संख्या 05/2017 –राज्य कर(दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं.फा.03(15)/वित्त(राजस्व–I)/2017–18/डीएस–VI/371, दिनांक 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग– IV में प्रकाशित किया गया था में, निमंलिखित और संशोधन करते हैं, यथा:–

उक्त अधिसूचना में,

(i) प्रारंभिक पैराग्राफ में, परन्तुक में, उपवाक्य (i) में, शब्द और अंक "क्रम संख्या 1", के स्थाान पर शब्द और अंक "क्रम संख्या 1कक" को प्रतिस्थौपित किया जाएगा;

(ii) सारणी में क्रम संख्या 1 को अब क्रम संख्या 1कक लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए क्रम संख्या 1कक के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापपित किया जाएगा, यथा:–

(1)	(2)	(3)
"1क.	1507	सोयाबीन तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं है।
1ख.	1508	मूंगफली का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृनत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1ग.	1509	जैतून का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1घ.	1510	अन्या तेल और उनके प्रभाज, जो केवल जैतून से अभिप्राय हैं, चाहे परिष्कृसत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं, जिनके अंतर्गत शीर्ष संख्या 1509 के तेल और उनके प्रभाज के साथ इन तेलों या उनके प्रभाज से सम्मिश्रण हैं ।
1ङ.	1511	ताड़ का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1च.	1512	सूर्यमुखी, कुसंभ या बिनौले का तेल और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1छ	1513	नारियल (खोपरा), ताड़ की गिरी या बाबासू का तेल और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1ज	1514	तोरिया, कोल्जां या सरसो का तेल और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1झ	1515	अन्य अवाष्पशील वनस्पति वसा और तेल (जिनके अंतर्गत जोजोबा का तेल है) और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1ण	1516	वनस्पहति वसा और तेल और उनके प्रभाज, भागत: या पूर्णत: हाइड्रोजनीकृत, अंत:एस्टीसकृत, पुन:एस्टीकृत, इलोडिनीकृत, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु और निर्मित नहीं हैं ।
1त	1517	शीर्ष संख्या 1516 की खाद्य वसा और तेलों या उनके प्रभाजों से भिन्न, इस अध्याय के वनस्पति या तेलों के अथवा विभिन्न वसा या तेलों के प्रभाजों के खाद्य मिश्रण या निमिर्तियां ।
1थ	1518	वनस्पति वसा और तेल और उनके प्रभाज, क्वथित, आक्सीकृत, निर्जलीकृत, सल्फपरीकृत, धमित, निर्वात या अक्रिय गैस में ऊष्माल द्वारा बहुलकित या अन्यिथा रासायनिक रूप से उपांतरित, उनको

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 12/2022-State Tax

Dated:17/11/2022

No. F.3 (31)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/898 - In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of this Government issued vide Notification No. 73/2017-State Tax, dated the 31st January 2018, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (80)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/57, dated the 31st January 2018, namely :–

In the said notification, in the sixth proviso, for the figures, letters and words —30th day of June, 2022, the figures, letters and words —28thday of July, 2022 shall be substituted.

Note: The principal notification No. 73/2017-State Tax, dated the 31st January 2018, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (80)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/57, dated the 31st January 2018 and was last amended, vide notification number 07/2022 – State Tax, dated the 22nd July, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part IV, vide no. F.3(13)/Fin(Exp-I)/2022-23/DS-I/638 dated the 22nd July, 2022.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary-I (Finance)

No. F.3 (31)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/898 **Dated:17/11/2022**

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Special Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय–I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या–12/2022–राज्य कर

दिनांकः 17/11/2022

सं.फा.03(31)/वित्त (व्यय–I)/2022–23/डीएस–I/898– दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस सरकार की अधिसूचना संख्या 73/2017–राज्य कर, तारीख 31 जनवरी, 2018 दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग–IV में सं.फा.03 (80)/वित्त (राजस्व–I)/2017–18/डीएस–VI/57, तारीख 31 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना में, छठे परंतुक में "30 जून 2022" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "28 जुलाई, 2022" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ।

टिप्पणः मूल अधिसूचना संख्यां 73/2017–राज्य कर, तारीख 31 जनवरी, 2018 सं.फा. 03 (80)/वित्त (राजस्व–I)/2017–18/डीएस–VI/57, तारीख 31 जनवरी, 2018 द्वारा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग–IV में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 07/2022–राज्य कर, तारीख 22 जुलाई, 2022 द्वारा संशोधित की गई थी, संख्यांक सं.फा. 03(13)/वित्त (व्यय–I)/2022–23/डीएस–I/638, तारीख 22 जुलाई, 2022 द्वारा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग–IV में प्रकाशित की गई थी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव– I (वित्त)

सं.फा.03(31)/वित्त (व्यय–I)/2022–23/डीएस–I/ दिनांकः17/11/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग–चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नईदिल्ली।

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 15/2022-State Tax

Dated:17/11/2022

No. F.3 (32)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/899 — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of this Government issued vide Notification No.10/2019-State Tax, dated the 12th September, 2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (50)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/424, dated the 12th September, 2019, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 4, for the entry in column (3), the entry "Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 18th July, 2022.

Note: - The principal notification No. 10/2019- State Tax, dated the 12th September, 2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (50)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/424, dated the 12th September, 2019 and was last amended by notification No. 03/2022 – State Tax, dated the 27th June,2022, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(6)/Fin(Exp-I)/2022-23/DS-I/537, dated the 27th June,2022,

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary-I (Finance)

No. F.3 (32)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/899 **Dated:17/11/2022**

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय–I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या 15/2022–राज्य कर

दिनांकः 17/11/2022

सं.फा.03(32)/वित्त(व्यय– I)/2022–23/डीएस– I/899 :– दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03), की धारा 23 की उप धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस सरकार की अधिसूचना संख्या 10/2019–राज्य कर, दिनांक 12 सितम्बर, 2019 जिसे सं.फा. 03(50)/वित्त(राजस्व–I)/2019–20/डीएस–VI/424, दिनांक 12 सितम्बर, 2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग–IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नपलिखित संशोधन करते हैं, यथाः –

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रमांक 4 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "फ्लाई ऐश ईंटें; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॉक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2– यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 10/2019–राज्य कर, दिनांक 12 सितम्बर, 2019 जिसे सं.फा. 03(50)/वित्त(राजस्व–I)/2019–20/डीएस–VI/424, दिनांक 12 सितम्बर, 2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग–IV में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 03/2022–राज्य कर, दिनांक 27 जून, 2022 जिसे सं.फा.03(6)/वित्त(व्यय– I)/2022–23/डीएस–I/537, दिनांक 27 जून, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग–IV में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव– I (वित्त)

सं.फा.03(32)/वित्त(व्यय–I)/2022–23/डीएस– I/899 दिनांकः 17/11/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 16/2022-State Tax

Dated:17/11/2022

No. F.3 (33)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/900 — In exercise of the powers conferred under the proviso to sub-section (1) of section 10 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of this Government issued vide Notification No.14/2019-State Tax, dated the 12th September, 2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(51)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/426, dated the 12th September, 2019, namely:-

In the said notification, in the TABLE, against serial number 4, for the entry in column (3), the entry "Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 18th July, 2022.

Note: - The principal notification No.14/2019- State Tax, dated the 12th September, 2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(51)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/426, dated the 12th September, 2019, and was last amended by notification No. 04/2022 – State Tax, dated the 27th June, 2022, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(09)/Fin.(Exp-I)/2019-20/DS-I/540, dated the 27th June, 2022,

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary-I (Finance)

No. F.3 (33)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/900 **Dated:17/11/2022**

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय–I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या 16/2022–राज्य कर

दिनांकः 17/11/2022

सं.फा.03(33)/वित्त(व्यय– I)/2022–23/डीएस– I/900 :– दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017का 03) की धारा 10 की उप धारा (1) के परन्तुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस सरकार की अधिसूचना संख्या 14/2019–राज्य कर, दिनांक 12 सितम्बर, 2019, जिसे सं.फा. 03(51)/वित्त(राजस्व–I)/2019–20/डीएस– VI/426, दिनांक 12 सितम्बर, 2019, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग–IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः –

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रमांक 4 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "फ्लाई ऐश ईंटें फ्लाई ऐश समुच्चय फ्लाई ऐश ब्लॉक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 14/2019–राज्य कर, दिनांक 12 सितम्बर, 2019, जिसे सं.फा. 03(51)/वित्त(राजस्व–I)/2019–20/डीएस– VI/426, दिनांक 12 सितम्बर, 2019, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग–IV में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2022–राज्य कर, दिनांक 27 जून, 2022, जिसे सं.फा. 03(09)/वित्त(व्यय–I)/2022–23/डीएस–I/540, दिनांक 27 जून, 2022, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग–IV में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव– I (वित्त)
दिनांकः17/11/2022

सं.फा.03(33)/वित्त(व्यय–I)/2022–23/डीएस– I/900

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार